"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2007—भाद 16, शक 1929

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री ओम प्रकाश चौधरी, भा. प्र. से. (2005) अनुविभागीय अधिकारी, गरियाबंद, जिला रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा, जिला दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. प्रकाश, भा. प्र. से. (2005) अनुविभागीय अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से. (1978) कृषि उत्पादन आयुक्त, पदेन प्रमुख सचिव, कृषि विभाग एवं प्रमुख सचिव, वन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शिवराज सिंह,** मुख्य सचिव.

---

## विधि एवं विधायी कार्य विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्र. 7197/2475/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री यशवंत कौशिक, अधिवक्ता, जिला-धमतरी को दिनांक 01-08-05 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि के लिए धमतरी जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्र. 7205/डी-2262/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अजेश त्रिवेदी , अधिवक्ता, बलौदाबाजार को दिनांक 01-08-05 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालय बलौदाबाजार के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2007

क्र. 7289/2449/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राकेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, जिला-राजनांदगांव को पुन: दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए राजनांदगांव जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2007

क्र. 7293/2449/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गौतम चंद जैन, अधिवक्ता, जिला-राजनांदगांव को पुन: दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, के लिए राजनांदगांव जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. पाठक,** उप-सचिव.

## कृषि विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2007

क्रमांक/3477/डी-15-74/2006-07/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थित पंजीकृत ग्रामोद्योग अथवा लघु उद्योग द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य के समस्त मंडी क्षेत्रों में उन्हें दिनांक 31-3-07 से एक वर्ष की कालावधि के लिये लाख कृषि उत्पाद के क्रय अथवा विक्रय पर मंडी शुल्क भुगतान से छूट प्रदान करती है.

No./3477/D-15/74/2006-07/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby exempts the payment of market fees for the period of one year from the date 31-03-2007, on sale or purchase of lac agriculture produce, by registered small scale industry or village industry located in Chhattisgarh on furnishing registration certificate as such, in all mandi areas of the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे**, उप-सचिव.

---

## आवास एवं पर्यावरण विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2007

क्रमांक-1550/2924/32/2007.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-856/2924/32/2006, दिनांक 11-05-2007 द्वारा बिलासपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

**बिलासपुर विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव**

| क्र. | ग्राम का नाम | खसरा क्र. | रकबा | विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव | अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | मोपका | 846/1 क, 846/2 क, 846/4, 847/1-2, 850/1, 850/2, 849, 848/16, 848/1, 845/1 च, 845/1 अ, 845/1 ग, 993/2, 993/2 क, 993/2 ख, 993/2 ग, 993/2 ट, 993/1 क. | 4.04 | मार्ग | आवासीय |
| 2. | मोपका | 850/2, 848/1, 845/1 छ, 854, 867/2, 867/3, 871/108, 834/1, 993/2 क, 935/3, 993/2 क, 944/2, 944/9, 993/2 ग. | 5.91 | आवासीय | मार्ग |

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण बिलासपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. एस. बजाज,** विशेष सचिव.

---

## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 20-10/2007/11/(6).—सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 20 सहपठित धारा 21 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम फेसीलिटेशन काउन्सिल का गठन करती है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त उद्योग | अध्यक्ष |
| 2. | छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ रायपुर के अध्यक्ष | सदस्य |
| 3. | छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ बिलासपुर के अध्यक्ष | सदस्य |
| 4. | भारतीय स्टेट बैंक (राज्य का लीड बैंक) का एक प्रतिनिधि जो बैंक द्वारा नामांकित किया जाए. | सदस्य |
| 5. | श्री आर. के. अग्रवाल, सनदी लेखापाल, सी-37, सेक्टर-1, समता कालोनी, रायपुर. | सदस्य |

2. खण्ड 2, 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत नामांकित सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकित होने के दिनांक से 2 वर्ष का होगा.

3. कोई भी सदस्य काउन्सिल के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और तदुपरांत वह काउन्सिल का सदस्य नहीं रहेगा.

4. काउन्सिल के सदस्यों में होने वाली आकस्मिक रिक्तियां, संबंधित विभाग द्वारा नामांकन के द्वारा भरी जायेगी.

5. खण्ड 2, 3 एवं 5 के अन्तर्गत नामांकित सदस्यों को ऐसी यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक फीस संदत्त की जायेगी जैसा की राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, काउन्सिल की बैठकों में उपस्थित होने के लिये अवधारित की जाये.

6. काउन्सिल की बैठक एक माह से कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा जैसा निश्चित किया जाये, उस समय व स्थान पर होगा.

7. काउन्सिल की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके स्वयं के बीच से निर्वाचित कोई सदस्य, काउन्सिल के बैठक की अध्यक्षता करेगा.

8. काउन्सिल की बैठक की गणपूर्ति काउन्सिल के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी. यदि किसी समय, गणपूर्ति न हो सकने की स्थिति में काउन्सिल का अध्यक्ष बैठक के लिये नई सूचना जारी करेगा.

9. काउन्सिल की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या से विनिश्चित किये जायेंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

10. काउन्सिल उक्त अधिनियम में उल्लिखित नियमों के अनुरूप कार्य करेगी.

Raipur, the 23rd August 2007

No. F-20-10/2007/11/(6).—In exercise of the powers conferred by section 20 read with section 21 of Micro. Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 the State Government hereby constitutes the Micro and Small Enterprises Facilitation Council as under :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Commissioner Industries/Director Industries | Chairman |
| 2. | Chairman of Chhattisgarh Udyog Mahasangh, Raipur | Member |
| 3. | Chairman of Chhattisgarh Small and Ancilliary Udyog Sangh, Bilaspur. | Member |
| 4. | One representative of State Bank of India (Lead Bank of State) to be nominated by the said Bank. | Member |
| 5. | Shri R. K. Agrawal, Chartered Accountant C-37, Sector-1, Samta Colony, Raipur. | Member |

2. The terms of the members nominated under clause 2, 3, 4 and 5 shall be two years from the date of their nomination.

3. A member may resign his/her office by giving notice in writing thereof to the Chairperson of the Council and shall thereupon cease to be a member of the Council.

4. Casual vacancies among the members of the Council shall be filled by nominations made by the concerned Department.

5. The members nominated under clause 2, 3 and 5 shall be paid such travelling allowance, daily allowance and sitting fee as may be determined by the State Government from time to time, for attending the meetings of the Council.

6. The meeting of the Council shall be held at least once in a month at such time and place as may be decided by the Chairperson.

7. In the absence of the Chairman, a member elected by the members present from amongst themselves shall preside over the meeting of the Council.

8. The quorum of the meeting of the Council shall be two third of the total number of members of the Council. If at any time, the quorum is not present the Chairperson of the Council shall issue fresh notice for the meeting.

9. All questions at the meeting of the Council shall be decided by a majority of the votes of the members present and in case of equality of votes, the Chairperson or in his absence the person presiding over the meeting shall have a second or casting vote.

10. The Council shall work according to the rules lead in the Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. बेहार**, विशेष सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 जुलाई 2007

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कबीरधाम | कवर्धा | भनसुला<br>प. ह. नं.- 45 | 1.047 | कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना, स. लोहारा. | डूब ग्राम जुनवानी के पुनर्वास स्थल के पहुंच मार्ग हेतु. |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सोनमणि बोरा,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 22 अगस्त 2007

क्रमांक 8269/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरबा | कोरबा | लेमरू | 2.38 | कार्यपालन अभियंता, लोक सेतु निर्माण विभाग संभाग, बिलासपुर. | लेमरू / कुटुरूवां/श्यांग मार्ग के किमी. 2/4 पर पुल निर्माण बाबत. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक 12/अ-82/2006-07/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| ज़िला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | मस्तूरी | गोबरी | 1.70 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1, बिलासपुर. | गोबरी से कोकड़ी सड़क पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक 23/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | मुंगेली | मोतिमपुर प. ह. नं. 27 | 14.48 | कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली. | तोताकापा व्यपवर्तन योजना के (फीडर) नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुबोध कुमार सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 16/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायपुर | सिमगा | मोहभट्ठा. प. ह. नं. 19 | 17.216 | कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा (तुलसी). | मर्राकोना डिस्ट्रीब्यूटरी (उप शाखा नहर) निर्माण हेतु. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकासशील**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष/उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 27 अप्रैल 2007

क्रमांक/3174/भू-अर्जन/अ. वि. अ./09 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | सरायपाली | तोषगांव प. ह. नं. 12 | 4.54 | अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली जिला-महासमुन्द. | लमकेनी जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 27 अप्रैल 2007

क्रमांक/3175/भू-अर्जन/अ. वि. अ./20 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | सरायपाली | गनियारीपाली प. ह. नं. 26 | 0.53 | अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली जिला-महासमुन्द. | सिंगबहाल जलाशय योजना में उलट निर्माण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. तिवारी,** कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

---

महासमुंद, दिनांक 30 जुलाई 2007

क्रमांक/97/अ. वि. अ./भू-अर्जन 10 अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | महासमुंद | लभराकला प. ह. नं. 130/77 | 0.28 | कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु, रायपुर (छ. ग.) | खट्टी परसदा मार्ग के कि. मी. 4/10 पर बघनई नाला सेतु निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. जायसवाल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 22 अगस्त 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/8268.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरमिना, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.096 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 229 | 0.209 |
| 230/1 | 0.283 |
| 224 | 0.02 |
| 225 | 0.202 |
| 223 | 0.109 |
| 221 | 0.024 |
| 222/3 | 0.376 |
| 219 | 0.854 |
| 213/1 | 0.162 |
| 214/1 | 0.295 |
| 214/2 | 0.287 |
| 214/3 | 0.162 |
| 282 | 0.356 |
| 245 | 0.348 |
| 246 | 0.587 |
| 247 | 0.243 |
| 252 | 0.142 |
| 253 | 0.049 |
| 719 | 0.162 |
| योग 19 | 4.096 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अशोक अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2007

क्रमांक/3977/भू-अर्जन/प्र.क्र.1/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-धुरली, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-108.95 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1229/1 | 0.44 |
| 1241/1 | 0.08 |
| 1608/1784 | 2.83 |
| 1608/1784 ख | 3.24 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 1241/2 | 0.75 | 1339 | 0.10 |
| 1239 | 0.11 | 1324 | 0.73 |
| 1251 | 1.11 | 1551 | 0.43 |
| 1257 | 0.03 | 1571 | 0.26 |
| 1233 | 0.29 | 1297 | 0.63 |
| 1604 | 0.07 | 1295 | 0.05 |
| 1236 | 1.12 | 1542 | 0.67 |
| 1243 | 0.50 | 1301 | 0.24 |
| 1247 | 0.06 | 1321 | 0.43 |
| 1253 | 0.17 | 1557 | 0.75 |
| 1267 | 1.93 | 1308 | 0.57 |
| 1273 | 0.56 | 1309 | 0.73 |
| 1234 | 0.55 | 1311 | 0.11 |
| 1244 | 0.09 | 1540 | 0.76 |
| 1229/2 | 0.28 | 1319 | 2.46 |
| 1607 | 0.83 | 1531 | 0.18 |
| 1230 | 0.19 | 1543 | 0.69 |
| 1242 | 0.07 | 1549 | 0.20 |
| 1255 | 0.03 | 1330 | 0.27 |
| 1595 | 0.07 | 1332 | 0.14 |
| 1235 | 0.48 | 1591 | 0.20 |
| 1606 | 0.32 | 1594 | 0.48 |
| 1240 | 0.14 | 1580 | 0.50 |
| 1600 | 0.21 | 1262 | 2.23 |
| 1249 | 0.06 | 1558 | 0.71 |
| 1266 | 0.09 | 1298 | 2.95 |
| 1269 | 1.04 | 1264 | 0.10 |
| 1277 | 0.30 | 1296 | 0.11 |
| 1285 | 2.90 | 1579/1 | 2.90 |
| 1331 | 0.61 | 1276 | 0.14 |
| 1583 | 0.37 | 1283 | 0.05 |
| 1592 | 0.27 | 1337 | 0.08 |
| 1599 | 1.42 | 1284 | 0.74 |
| 1261 | 0.02 | 1298 | 2.58 |
| 1274 | 0.78 | 1305 | 3.41 |
| 1254 | 1.09 | 1326 | 0.17 |
| 1263 | 0.62 | 1288 | 2.79 |
| 1272 | 1.23 | 1299 | 0.24 |
| 1270/2 | 0.30 | 1335 | 2.58 |
| 1275 | 1.77 | 1307 | 0.34 |
| 1278 | 0.06 | 1389 | 1.60 |
| 1336 | 0.65 | 1561 | 0.63 |
| 1279 | 0.11 | 1293 | 0.29 |
| 1286 | 6.58 | 1294 | 0.66 |
| 1302 | 0,06 | 1334 | 0.23 |
| 1306 | 0.35 | 1300 | 0.16 |
| 1578 | 0.67 | 1317 | 0.79 |
| 1292 | 2.49 | 1556 | 0.83 |
| 1304 | 0.20 | 1564 | 0.20 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1567 | 3.31 |
| 1570 | 0.89 |
| 1155 | 0.40 |
| 1313 | 0.24 |
| 1338 | 0.83 |
| 1539 | 0.82 |
| 1316 | 0.93 |
| 1577 | 0.94 |
| 1568 | 0.20 |
| 1327 | 0.95 |
| 1544 | 0.04 |
| 1329 | 0.25 |
| 1340 | 1.13 |
| 1538 | 0.08 |
| 1546 | 0.19 |
| 1535 | 0.09 |
| 1553 | 1.03 |
| 1541 | 0.17 |
| 1547 | 0.10 |
| 1552 | 0.75 |
| 1566 | 0.73 |
| 1574 | 1.88 |
| 1572 | 4.96 |
| 1605 | 0.14 |
| 1322 | 0.52 |
| 1328 | 0.06 |
| 1550 | 0.17 |
| 1333 | 0.66 |
| 1532 | 0.89 |
| 1533 | 1.86 |
| 1534 | 1.34 |
| 1536 | 0.25 |
| 1537 | 0.19 |
| 1545 | 0.10 |
| 1548 | 0.08 |
| 1554 | 0.15 |
| 1569 | 0.33 |
| 1559 | 0.75 |
| 1576 | 0.87 |
| योग | 108.95 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एकीकृत स्टील प्लांट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. पिस्दा,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 22 अगस्त 2007

क्रमांक/179/स्था. निर्वा./नगर पालिका/दन्तेवाड़ा/2007.—श्री विकास नेताम, पार्षद वार्ड क्रमांक 02 महात्मा गांधी वार्ड नगर पंचायत दन्तेवाड़ा की अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने पार्षद वार्ड क्रमांक-02 नगर पंचायत दन्तेवाड़ा के पद से अपना त्याग पत्र दिनांक 28-07-2007 को अध्यक्ष नगर पंचायत दन्तेवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया है. इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिमत प्राप्त किया तथा अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित आदेश/दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उन्हें समक्ष में सुना गया.

श्री विकास नेताम, पार्षद वार्ड क्रमांक 02 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचारोपरान्त छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 उपनियम 2 (एक) के तहत दिनांक 28-07-2007 से त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त त्याग पत्र स्वीकृत दिनांक से वार्ड क्रमांक 02 महात्मा गांधी नगर वार्ड नगर पंचायत दन्तेवाड़ा का पार्षद पद रिक्त माना जायेगा.

**के. आर. पिस्दा,**
कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2007

क्रमांक 1549/खनि/2007.—म. प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम-12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बिलासपुर (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

| जिला (1) | तहसील (2) | ग्राम (3) | खसरा नं. (4) | रकबा (5) | खनिज (6) | भूमि का प्रकार (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिलासपुर | मुंगेली | मुंगेली | 925/1, 925/2 | 2.50 ए. | चूनापत्थर | निजी एवं शासकीय |
| बिलासपुर | मस्तुरी | मोहतरा | 247, 248, 249/1, 251 | 1 हे. | चूनापत्थर | निजी भूमि |
| बिलासपुर | मस्तुरी | भदौरा | 407/1, 407/6, 407/7, 408/1, 408/2 | 2.24 ए. | चूनापत्थर | निजी |
| बिलासपुर | बिल्हा | कनेरी | 492 | 0.80 ए. | चूनापत्थर | निजी भूमि |

**सुबोध कुमार सिंह,**
कलेक्टर.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2007

क्रमांक/3980/भू-अर्जन/प्र.क्र.3/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-भांसी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-279.301 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 57/25 | 0.040 |
| 42/17 | 0.153 |
| 13/6 | 0.020 |
| 24/4 | 0.458 |
| 14/7 | 0.263 |
| 57/1 | 0.121 |
| 57/1 | 1.619 |
| 57/1 | 0.202 |
| 14/4 | 0.648 |
| 10 | 0.709 |
| 24/3 | 0.121 |
| 13/5 | 0.016 |
| 57/1 | 0.263 |
| 2/4 | 1.902 |
| 57/25 | 0.101 |
| 57/10 | 0.081 |
| 57/1 | 2.023 |
| 57/5 | 1.821 |
| 57/1 | 1.255 |
| 57/10 | 0.081 |
| 24/1 | 0.315 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 50/2 | 0.405 |
| 57/8 | 1.906 |
| 57/7 | 1.821 |
| 53/2 | 0.061 |
| 44/5 | 0.779 |
| 44/2 | 0.688 |
| 57/1 | 0.040 |
| 2/5 | 2.023 |
| 57/19 | 0.081 |
| 57/1 | 1.214 |
| 14/6 | 0.506 |
| 57/1 | 0.263 |
| 24/5 | 0.308 |
| 42/15 | 0.121 |
| 42/8 | 0.153 |
| 57/1 | 1.214 |
| 6 | 0.567 |
| 13/4 | 0.024 |
| 57/1 | 0.263 |
| 24/2 | 0.202 |
| 2/7 | 2.023 |
| 57/15 | 0.061 |
| 57/1 | 1.416 |
| 57/14 | 0.020 |
| 57/18 | 0.040 |
| 57/12 | 0.040 |
| 57/24 | 0.040 |
| 13/2 | 0.020 |
| 57/1 | 0.263 |
| 57/23 | 0.020 |
| 57/22 | 0.040 |
| 46/2 | 0.405 |
| 57/6 | 1.821 |
| 57/7 | 0.040 |
| 44/4 | 0.979 |
| 57/13 | 0.040 |
| 45/5 | 0.227 |
| 51/2 | 0.146 |
| 2/6 | 2.023 |
| 9 | 3.277 |
| 42/13 | 0.141 |
| 57/1 | 0.607 |
| 23/11 | 0.324 |
| 30/2 | 0.324 |
| 57/1 | 0.405 |
| 41/3 | 0.072 |
| 42/6 | 0.182 |
| 12/1 | 3.074 |
| 14/5 | 0.121 |
| 43/2 | 0.097 |
| 14/2 | 0.137 |
| 23/4 | 0.429 |
| 27 | 0.222 |
| 42/22 | 0.344 |
| 20/2 | 0.081 |
| 57/1 | 2.429 |
| 57/3 | 0.809 |
| 17/2 | 0.934 |
| 23/6 | 0.182 |
| 28 | 0.081 |
| 57/1 | 0.405 |
| 42/9 | 0.607 |
| 57/1 | 5.867 |
| 17/1 | 0.324 |
| 42/21 | 0.183 |
| 57/1 | 0.405 |
| 42/14 | 0.170 |
| 57/1 | 0.325 |
| 23/1 | 1.052 |
| 41/1 | 0.101 |
| 42/3 | 1.546 |
| 23/10 | 0.243 |
| 42/19 | 0.081 |
| 57/1 | 3.439 |
| 41/2 | 0.389 |
| 42/2 | 0.114 |
| 57/1 | 0.809 |
| 14/1 | 0.243 |
| 23/9 | 0.182 |
| 57/1 | 0.324 |
| 17/3 | 0.770 |
| 23/5 | 0.222 |
| 57/1 | 0.865 |
| 37/2 | 0.040 |
| 42/11 | 0.283 |
| 42/20 | 0.243 |
| 57/1 | 1.214 |
| 23/12 | 1.052 |
| 57/1 | 2.023 |
| 23/3 | 0.324 |
| 42/4 | 0.304 |
| 57/1 | 0.162 |
| 14/3 | 0.060 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 23/7 | 0.243 |
| 57/1 | 0.405 |
| 17/4 | 0.386 |
| 23/13 | 0.663 |
| 30/1 | 1.116 |
| 57/4 | 2.023 |
| 41/5 | 0.323 |
| 57/1 | 2.307 |
| 57/4 | 0.344 |
| 20/1 | 0.324 |
| 25 | 0.458 |
| 57/1 | 4.249 |
| 42/7 | 0.137 |
| 57/1 | 0.579 |
| 57/1 | 15.297 |
| 23/8 | 0.567 |
| 57/1 | 1.214 |
| 12/1 | 2.509 |
| 42/18 | 0.113 |
| 57/1 | 0.405 |
| 39/1 | 0.024 |
| 42/1 | 0.154 |
| 43/1 | 0.089 |
| 42/16 | 0.178 |
| 57/1 | 0.567 |
| 23/2 | 0.466 |
| 41/4 | 0.032 |
| 42/5 | 0.202 |
| 57/1 | 1.643 |
| 14/4 | 0.064 |
| 57/1 | 3.238 |
| 12/1 | 2.388 |
| 20/3 | 0.121 |
| 41/1 | 0.061 |
| 41/10 | 0.081 |
| 32 | 0.032 |
| 45/3 | 3.461 |
| 48 | 0.223 |
| 51/2 | 0.049 |
| 55 | 2.533 |
| 57/1 | 56.897 |
| 4/3 | 13.864 |
| 7 | 1.234 |
| 4/1 | 6.613 |
| 53/1 | 0.483 |
| 39/2 | 0.194 |
| 44/3 | 0.741 |
| 57/11 | 0.061 |
| 12/1 | 0.405 |
| 38 | 0.722 |
| 57/20 | 0.101 |
| 37/3 | 0.020 |
| 57/1 | 7.583 |
| 57/1 | 0.364 |
| 33/1 | 3.431 |
| 57 | 13.496 |
| 57/1 | 0.809 |
| 45/1 | 2.286 |
| 47 | 0.223 |
| 50/1 | 0.299 |
| 52 | 0.607 |
| 56 | 0.356 |
| 3 | 0.073 |
| 5 | 0.154 |
| 8 | 0.016 |
| 46/1 | 3.468 |
| 57/1 | 19.865 |
| 44/1 | 0.615 |
| 57/2 | 0.626 |
| 11 | 3.844 |
| 37/13 | 0.870 |
| 57/1 | 13.140 |
| 57/9 | 0.040 |
| 2/8 | 2.023 |
| 57/1 | 0.445 |
| 31 | 0.049 |
| 36 | 0.858 |
| योग | 279.301 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एकीकृत स्टील प्लांट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. पिस्दा,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.